उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-124/2018/2153/92-2-18-03जॉच/2015

लखनऊ:: दिनांक 16 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के डेस्टीनेशन डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत जनपद अलीगढ के पर्यटन स्थल अचलताल में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये गये विभिन्न निर्माण कार्यो की प्रगति अत्यन्त मन्द पाये जाने अपने पदीय दायित्वों के प्रति सजग न रहने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-149/2017/1422/92-2-17-03जांच/2015 दिनांक 11-08-2017 द्वारा श्री रियाज अहमद सिददीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत जांच के सम्पादनार्थ तत्का0 विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- कालान्तर में जांच अधिकारी/तत्का0 विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन का स्थानान्तरण स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पद पर हो जाने के फलस्वरूप शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-221/2017/3337/92-2-17-03जांच/2015 दि0 21-12-2017 द्वारा श्री आर0 पी0 सिंह, निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को जांच के सम्पादनार्थ पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/निदेशक एवं मुख्य अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-3479/ग्रा0अ0वि0/कैम्प-निदेशक/जांच-रियाज/17-18 दि0 26-03-2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में कतिपय आरोप सिद्ध पाये जाने पर शासन के पत्रसं0-739/92-2-17-03जांच/2015 दिनांक 14-05-2018 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया जो अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 30-05-2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- जांच अधिकारी की जांच आख्या अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रश्नगत निर्माण कार्य के मदों में हुये विचलन के लिये पर्यटन विभाग से लिखित अनुमति न प्राप्त किये जाने हेतु उत्तरदायी पाये जाने के दृष्टिगत श्री रियाज अहमद सिदीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ सम्प्रति पी0आई0यू0-पीलीभीत के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.08.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को पुन: ऐसी त्रुटि न करने हेतु भविष्य के लिये सचेत करते हुये एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-124/2018/2153(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री रियाज अहमद सिदीकी, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-अलीगढ सम्प्रति पी0आई0यू0 पीलीभीत द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।